किस्म मुकदमा ...

.9.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव दस्तावेज तथा उप तहसीलदार,पलसाना के पत्र कमांक भू0अ0/16/538 दिनांक 22.6.16 द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा वाद पत्र,जवाब दावा एंव विभाजन प्रस्ताव में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एंव वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि ख0नं0 51 रकबा 1.81 है0,ख0नं0 52 रकबा 3.33 है0 ख0नं0 61/800 रकबा 0.35 है0 ख0नं0 50 रकबा 1.81 है0 कुल किता चार कुल रकबा 7.30 है0 तन ग्राम गोरधनपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है,जो रिकार्ड में शामलाती दर्ज है। पक्षकारान ने अपनी भूमियों को मौके पर बाहमी तौर पर विभाजित कर रखा है और वर्षो से बंटवारा कर अलग–अलग नींव–सींव बनाकर काश्त कर रहे है ओर बंटवारा करवाना चाहते है।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.9.2011 की पालना में उप तहसीलदार,पलसाना ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/16/538 दिनांक 22.6.16 के द्वारा राजस्व ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के आराजी ख0नं0 50,51,52,61/800 कुल किता 4 कुल रकबा 7.30 है0 के बाबत बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया है।

अतः उप तहसीलदार,पलसाना से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव कमांक भू0अ0/16/538 दिनांक 22.6.16 एंव गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है । बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। यदि बैंक का रहन है तो यथावत रहेगा। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिकी जारी हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

Scanned by CamScanner